



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित



संख्या - 691 राँची, गुरुवार, 2 अग्रहायण, 1945 (श०)
23 नवम्बर, 2023 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

संकल्प

8 सितम्बर, 2023

संख्या-5/आरोप-1-23/2020-23946 (HRMS)--श्री राजेश कुमार मिश्र, झा०प्र०से० (चतुर्थ 'सीमित' बैच), तत्कालीन अंचल अधिकारी, रातु, राँची के विरुद्ध उपायुक्त, राँची के पत्रांक-392(ii)/स्था०, दिनांक 11.03.2020 द्वारा आरोप पत्र गठित कर उपलब्ध कराया गया। श्री मिश्र के विरुद्ध आरोप पत्र में निम्नवत् आरोप प्रतिवेदित किया गया-

(i) श्री राजेश कुमार मिश्र, अंचल अधिकारी, रातु दिनांक 21.01.2020 को एक दिन के लिए आकस्मिक अवकाश का आवेदन समर्पित कर एक लम्बी अवधि बीत जाने के बाद से अब तक लगातार बिना कारण बताये अपने कर्तव्य एवं मुख्यालय में अनुपस्थित है। बार-बार इनसे सम्पर्क स्थापित करने के बाद भी सम्पर्क नहीं हो पा रहा है। इनके अनुपस्थिति के कारण अंचल कार्यालय के अन्तर्गत आमजनों का कार्य प्रभावित हो रहा है। साथ ही झारखण्ड राज्य सेवा देने की गारंटी अधिनियम 2011 के अन्तर्गत प्रावधानित सेवा के अंतरण पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। इनका उक्त आचरण सरकारी सेवक के आचरण के प्रतिकूल तो है ही इनके उक्त कृत से प्रशासन की छवि धूमिल हो रही है ।

श्री मिश्र के उक्त कृत्य एवं आचरण पर इनसे कार्यालय पत्रांक-188/गो0, दिनांक 02.02.2020 द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गई। श्री मिश्र द्वारा उक्त स्पष्टीकरण पर अब तक किसी प्रकार का पक्ष नहीं रखा गया। उक्त आचरण एवं कृत्य की अपेक्षा एक जिम्मेवार प्रशासनिक अधिकारी से नहीं की जा सकती है।

(ii) Twitter के माध्यम माननीय मुख्यमंत्री झारखण्ड के संज्ञान में आमजनों के माध्यम से रातु अंचल के क्रियाकलापों पर गंभीर आरोप पाए। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जाँच कर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करने के आदेश के आलोक में अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर, राँची द्वारा जाँच करायी गई। अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर राँची द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि दिनांक 27.02.2020 को रातु अंचल कार्यालय का भ्रमण किया गया तथा दाखिल-खारिज संबंधित मामलो की समीक्षा की गई। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि दाखिल-खारिज के आवेदन दिनांक 27.02.2020 को निम्न प्रकार से लंबित है-

अंचलाधिकारी के लॉगइन में लंबित- 104

अंचल निरीक्षक के लॉगइन में लंबित- 95

राजस्व कर्मचारी के लॉगइन में लंबित- 617

कर्मचारी के लॉगइन में लंबित मामले निम्नवत् है-

हल्का - 1 - 73

हल्का - 2 - 151

हल्का - 3 - 111

हल्का - 4 - 08

हल्का - 5 - 274

अंचलाधिकारी श्री राजेश मिश्र दिनांक-21.01.2020 से लगातार अनुपस्थित है तथा दिनांक 07.02.2020 को श्री अविनाश पूर्णेन्दु प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, रातु द्वारा प्रभार ग्रहण किया गया है। इसी बीच की अवधि में कई आवेदन दाखिल हुए। प्रभारी अंचल अधिकारी का डिजिटल हस्ताक्षर बनने के उपरान्त उनके द्वारा लंबित मामलों में कार्रवाई की गई है तथा लगातार की जा रही है।

रातु अंचल में कुल अस्वीकृत दाखिल-खारिज आवेदनों की संख्या-8693 है, जबकि कुल आवेदनों की संख्या-15286 है। अस्वीकृत आवेदनों में से Random Selection करते हुए कई आवेदनों का अवलोकन किया गया तथा पाया गया कि अंचलाधिकारी स्तर से अस्वीकृत अधिकांश आवेदनों में कोई भी अभ्युक्ति अंकित नहीं है। इससे आवेदन के अस्वीकृत किये जाने का कारण नहीं ज्ञात हो सका, साथ ही आवेदकों को भी अस्वीकृति का कारण नहीं मालूम हो पाया। कर्मचारी तथा अंचल निरीक्षक स्तर से अस्वीकृत अधिकांश आवेदनों में उद्धृत कारण यथा मूल कागज का प्राप्त न होना, स्थल पर आवेदक का न मिलना इत्यादि Insignificant तथा Frivolous प्रतीत हुए। कर्मचारियों तथा अंचल निरीक्षक से इस संबंध में पुछताछ करने पर उनके द्वारा कोई संतोषप्रद उत्तर नहीं प्रदान किया गया।

अंचल कार्यालय में आये हुए आम नागरिकों से भी मुलाकात की गई तथा उनके द्वारा अंचल कार्यालय में दाखिल-खारिज की प्रक्रिया पर गंभीर आरोप लगाये गए तथा होने वाले विलंब तथा टालमटोल पर असंतोष व्यक्त किया गया।

(iii) श्री राजेश कुमार मिश्र, अंचल अधिकारी, रातू का उक्त आचरण प्रथम दृष्ट्या पूर्ण शीलनिष्ठा एवं कर्तव्य के प्रति निष्ठा में अभाव को प्रदर्शित किया गया, जो सरकारी सेवक आचार नियमावली के नियम 3(1)(i),(ii) एवं (iii) के प्रतिकूल आचरण है।

उक्त आरोपों पर श्री मिश्र द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण एवं इनके स्पष्टीकरण पर उपायुक्त, राँची से प्राप्त मंतव्य के समीक्षोपरांत विभागीय संकल्प सं०-17488(HRMS), दिनांक 11.10.2021 द्वारा इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। विभागीय जाँच पदाधिकारी के पत्रांक-213, दिनांक 23.08.2022 द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में आरोपी पदाधिकारी के विरुद्ध एक भी आरोप को प्रमाणित नहीं किया गया है। परन्तु प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के समीक्षा में पाया गया कि श्री मिश्र द्वारा विभागीय कार्यवाही के दौरान आरोप सं०-2 पर समर्पित स्पष्टीकरण में दिनांक 20.01.2020 का ऑनलाईन प्रतिवेदन का हवाला देते हुए अंकित किया गया है कि उनके लॉगइन में दाखिल खारिज के मात्र 04 मामला लंबित था, किन्तु उक्त प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि पूरे अंचल में दाखिल खारिज के बिना आपत्ति वाले 165 मामले 30 दिनों से ज्यादा समय से लंबित थे, जबकि ऐसे मामले का निष्पादन सेवा देने की गारंटी अधिनियम के अन्तर्गत 30 दिनों के अंदर किये जाने का प्रावधान है।

समीक्षोपरांत विभागीय जाँच पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन से असहमत होते हुए श्री मिश्र के विरुद्ध असंचयात्मक प्रभाव से एक वेतन वृद्धि पर रोक का दण्ड प्रस्तावित करते हुए विभागीय पत्रांक-2183, दिनांक 13.04.2023 श्री मिश्र से द्वितीय कारण पृच्छा की गई।

उक्त के अनुपालन में श्री मिश्र के पत्र, दिनांक 06.06.2023 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब समर्पित किया गया, जिसमें उनके द्वारा उल्लेख किया गया कि ऑनलाईन दाखिल खारिज हेतु राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक द्वारा निर्धारित अधिकतम समयसीमा के अंदर अंचल अधिकारी के समक्ष प्रतिवेदन समर्पित न करने के कारण इसे सेवा देने की गारंटी अधिनियम का उल्लंघन मानते हुए उपायुक्त के आदेश जापांक-445, दिनांक 21.03.2020 के द्वारा सभी राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक, रातू के विरुद्ध आरोप पत्र गठित कर विभागीय कार्यवाही चलाने का आदेश देने के पश्चात् भी किसी कर्म को दंडित नहीं किया गया है। सेवा अधिकार अधिनियम के तहत पीडितव्यक्ति के आवेदन पर कार्रवाई करते हुए आर्थिक दण्ड प्रावधानित है, परन्तु इनके विरुद्ध कभी किसी प्रकार की कोई शिकायत दर्ज नहीं है।

उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के द्वारा उनके लॉगइन में दाखिल खारिज के लंबित मामलों के संदर्भ में उनको प्रत्यक्ष रूप से दोषी मानते हुए दण्ड दिया जाना न्यायोचित नहीं है। उनके द्वारा यह भी प्रतिवेदित है कि लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सहायक लोक अभियोजक के मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा में जोनल दण्डाधिकारी के रूप में उनकी प्रतिनियुक्ति रहने के कारण अत्यधिक व्यस्त होने के फलस्वरूप भी अधीनस्थ कर्मियों का प्रभावी पर्यवेक्षण संभव नहीं हो पाया।

श्री मिश्र द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा की समीक्षा की गयी। समीक्षा में पाया गया कि उनके विरुद्ध प्रस्तावित असंचयात्मक प्रभाव से एक वेतन वृद्धि पर रोक के दण्ड पर उनके द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण में मूल रूप से उल्लेखित है कि उनके लॉगइन में मात्र 04 मामला ही लंबित है, जो तकनीकी कारण से था। अन्य मामले में राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक द्वारा

निर्धारित अधिकतम समयावधि के अंदर उनके समक्ष प्रतिवेदन समर्पित न करने के कारण ही सभी दाखिल खारिज मामले लंबित रहे हैं। इसके लिए मूल रूप से वे दोनों ही दोषी हैं। इस संबंध में उपायुक्त के द्वारा राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही चलाये जाने का आदेश भी दिया गया था।

विदित हो कि अंचल अधिकारी अंचल स्तर पर सभी राजस्व कार्य के लिए मूल रूप से जिम्मेवार पदाधिकारी हैं। दाखिल खारिज के स्वीकृति एवं अस्वीकृति का आदेश उन्हीं के द्वारा पारित किया जाता है। आदेश पारित करने के पूर्व संबंधित मामले में अंचल अधिकारी द्वारा राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक से भूमि, उसकी जमाबंदी एवं दखल कब्जा आदि से संबंधित प्रतिवेदन प्राप्त किया जाता है। सेवा देने की गारंटी अधिनियम अन्तर्गत दाखिल खारिज हेतु बिना आपत्ति के मामले में 30 दिन एवं आपत्ति सहित मामले में 90 दिन का समय सीमा निर्धारित है। परन्तु श्री मिश्र द्वारा समर्पित प्रतिवेदन दिनांक 20.01.2020 के अवलोकन से भी स्पष्ट है कि दाखिल खारिज के बिना आपत्ति वाले 165 मामले 30 दिनों से ज्यादा समय से लंबित हैं। जबकि ऐसे मामलों का निष्पादन सेवा देने के गारंटी अधिनियम के तहत 30 दिनों के अंदर किये जाने का प्रावधान है एवं उक्त संदर्भ में आरोपी पदाधिकारी द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा संतोषजनक नहीं है।

अतः समीक्षोपरांत श्री राजेश कुमार मिश्र, तत्कालीन अंचल अधिकारी, रातु अंचल, राँची द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा को अस्वीकार करते हुए उनके विरुद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(iv) के तहत असंचयात्मक प्रभाव से एक वेतन वृद्धि पर रोक का दण्ड अधिरोपित किया जाता है।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के आसाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति श्री राजेश कुमार मिश्र, झा०प्र०से० एवं अन्य संबंधित को दी जाय।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	RAJESH KUMAR MISHRA JHK/JAS/193	श्री राजेश कुमार मिश्र, तत्कालीन अंचल अधिकारी, रातु अंचल, राँची के विरुद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(iv) के तहत असंचयात्मक प्रभाव से एक वेतन वृद्धि पर रोक का दण्ड अधिरोपित किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,
रंजीत कुमार लाल,

सरकार के संयुक्त सचिव।
जीपीएफ संख्या: BHR/BAS/3601
